आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 04/2020

झगरू यादव वगैरह वनाम् नाथुन यादव वगैरह

आदेश

28/04/22

अपीलार्थी झगरू यादव, राम प्रवेश यादव, विजय यादव तीनों पिता–स्व० राम रतन यादव, दिपन यादव, पिता–स्व० रूखी यादव सभी साकिन–कोरियम, अंचल–अरवल, थाना+जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल खारिज वाद संख्या–487/14–15 एवं 488/14–15 में दिनांक 31.07.2014 को अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व दायर किया है। अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टी की गई। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहदी
357	1809	05.5 डी०	उत्तर–विरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव दक्षिण–जितेन्द्र यादव वो सुखलाल सिंह पूरब–राजेश्वर यादव पश्चिम–महेन्द्र यादव
357	1809	$6\frac{1}{4}$ डी०	उत्तर–विरेन्द्र यादव दक्षिण–विरेन्द्र यादव पूरब–हीरा यादव पश्चिम–राम जन्म साव

अवस्थित मौजा–कोरियम, थाना नं०–01, थाना+अंचल+जिला–अरवल

उतरवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उतरवादीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) प्रश्नगत् भूमि की कुल एराजी 14 डी० है जिसमें 11 डी० भूमि अपीलार्थीगण के पिता–स्व० राम रतन यादव के नाम की भूमि है एवं 03 डी० भूमि अपीलार्थी संख्या–04 दीपन यादव, पिता–स्व० रूखी यादव के हिस्से की भूमि है। राम रतन यादव को 5.50 डी० भूमि बॅटवारा से प्राप्त हुआ है तथा 5.50 डी० भूमि रजिस्ट्री केवाला से प्राप्त है तथा डिमांड इनके नाम से कायम है एवं राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे है तथा 03 डी० भूमि दीपन यादव के बड़े भाई स्व० कुन्दन गोप के नाम पर कायम है तथा राजस्व का भुगतान पूर्वज के समय से किया जा रहा है।

(2) प्रश्नगत् भूमि 14 डी० का ही प्लॉट है जिसपर अपीलार्थीगण का दखल कब्जा है। विकेता विरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव की भूमि खाता संख्या–353, प्लॉट संख्या–1799 जो 25 डी० का प्लॉट है जिसमें विकेता द्वारा विकी किया गया है लेकिन खाता, प्लॉट के जानकारी के अभाव में अपीलार्थीण का प्लॉट का रजिस्ट्री कर दिये है।

(3) अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा अपने न्यायालय का दाखिल खारिज अभिलेख में दिनांक 31.07.2014 को पारित आदेश किया गया है जिसमें दोंनों अभिलेख एक ही प्राकृति का है तथा दोंनों में एक ही खाता, प्लॉट वर्णित है।

(4) नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव, पिता–स्व० असरफी यादव (विकेता) के द्वारा नन

जुडिसियल स्टाम्प पर दिनांक 22.01.2020 को स्वीकार है कि खाता संख्या–357, प्लॉट संख्या–1809 मेरे भूमि नही है और ना उस भूमि से मुझे कोई सरोकार है।

(5) उतरवादी जितेन्द्र यादव उर्फ जितेन्द्र कुमार, पिता–स्व० कुंजी यादव (जमीन केता) के द्वारा इस बात की जानकारी हुई कि प्रश्नगत् भूमि विकेता की नही है तो उनके द्वारा मुख्य न्यायिकदण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में (विकेता) विरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव के विरूद्व अभियोग वाद पत्र संख्या–59/2019 को दायर किये।

(6) अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा प्रश्नगत् खाता, प्लॉट का ठीक ढ़ंग से जॉच नही कराया गया और ना ही भौतिक सत्यापन कराया गया और ना ही अपीलार्थीगण को सूचना निर्गत किया गया जिसे गलत आदेश पारित किया गया जो कि नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने अपना लिखित व्यान में लिखकर दिया है।

(7) खाता संख्या–353, प्लॉट संख्या–1799 जो विकेता नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव की 25 डी० भूमि है जो खरीदार जितेन्द्र यादव के धर के सटे आगे है जिसमें आधा भाग 12.50 डी० भूमि पर जितेन्द्र यादव का दखल कब्जा है जबकि उसी के बदले अपीलार्थीगण वाली भूमि का रजिस्ट्री में खाता प्लॉट दर्ज करा दिया गया है।

(8) केता जितेन्द्र यादव द्वारा दाखिल व्यान तहरीर में उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी दीपन यादव के पूत्र मून्ना कुमार जमीन खरीद में सम्यक गवाह बने है जो बिल्कुल गलत है। जब विकेता एवं केता को ही यह मालूम नही था कि जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा है वह जमीन किसका है और किसके नाम पर है तो गवाह मुन्ना कुमार को क्या पता कि विकेता कौन जमीन विकी कर रहे है। यह जिम्मेवारी पहचानकर्ता की होती है।

(9) जितेन्द्र यादव (केता) ने अपने व्यान तहरीर में उल्लेखित किया है कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में परिवाद वाद संख्या–77/2017 में हुए समझौता में मुन्ना यादव के द्वारा किया गया हस्ताक्षर के संबंध में उठाई गई है जो औचित्यहीन एवं आधार विहिन है। चूँकि मुन्ना कुमार के नाम का न तो कोई जमीन है और ना ही उसके नाम से रसीद कटा है।

(10) जितेन्द्र यादव (केता) द्वारा जो वंशावली दिया गया है वह गलत है।

(11) विवादित भूमि विरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव की ना ही खरीदी भूमि थी और ना ही हिस्सा में प्राप्त भूमि है जो विकेता के अपने व्यान तहरीर में भी लिखा है। ऐसे में जब विकेता की भूमि थी ही नही तो केता के नाम से किया गया रजिस्ट्री अवैध अनाधिकृत एवं गलत है और इस तरह विना जॉचे परखे और विना अपीलार्थीगण को जानकारी दिये केवल केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा दोंनों दाखिल खारिज वाद में आदेश पारित करना

गलत है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या–487/2014–2015 एवं 488/2014–2015 में पारित आदेश का खारिज करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) दोंनों वसिका में एक ही जमीन का खरीद बिकी किया गया है।

(2) विवादित भूमि का डिमांड अपीलार्थी के पिता के नाम से खुला हुआ है तथा राजस्व रसीद कटते चला आ रहा है।

(3) जितेन्द्र यादव ने श्री राधाकांत शर्मा अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, अरवल के द्वारा दिनांक 07.02.2019 को प्रतिवादी संख्या–01 नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव के उपर लीगल नोटिस भेजा था जिसमें जितेन्द्र यादव ने स्वीकार किया है कि वसीका संख्या–3111/2011 एवं वसीका संख्या–331/2012 में अंकित भूमि प्रतिवादी संख्या–01 नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव की नही है।

(4) विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या–01 नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव की नही थी तो वसीका में वर्णित भूमि को अचंल अधिकारी, अरवल द्वारा जितेन्द्र यादव के पक्ष में जमाबंदी कैसे कायम कर दी। अंचल अधिकारी, अरवल का दाखिल खारिज वाद संख्या–487/2014–2015 एवं 488/2014–2015 राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी, अरवल के आर्थिक षडयंत्र का नतीजा है।

(5) नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव के चाचा महेन्द्र सिंह के द्वारा उक्त भूमि को लेकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में जालसाजी का मुकदमा लाया गया था जिसका परिवाद संख्या–77/2017 है जिसे जितेन्द्र यादव का मुदालय बनाया गया था।

(6) जितेन्द्र यादव के द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 144 द० प्र० सं० वाद संख्या–102/2019 लाया गया था जिसमें मूल आवेदन में स्वीकार किया है कि वसीका में वर्णित भूमि नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव की नही है।

(7) अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव को दिनांक 09.09.2011 को निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र में वसीका अन्तर्गत भूमि दर्ज नही है और ना ही पूर्व में तथा वर्तमान के रसीद पर प्लॉट अंकित है जिसे प्रमाणित होता है कि अंचल अधिकारी, अरवल ने राजस्व कर्मचारी के गलत रिर्पोट के आधार पर नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव के पिता के नाम से डिमांड से जमीन हटाकर जितेन्द्र यादव के पक्ष में खोला गया है जो गलत है जिसे अपील आवेदन को स्वीकार कर अंचल अधिकारी, अरवल के पारित आदेश को खारीज किया जाये।

उतरवादी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) अपीलार्थी एवं उतरवादी आपस में पटिदार है जिसका वंशावली निम्न है:–

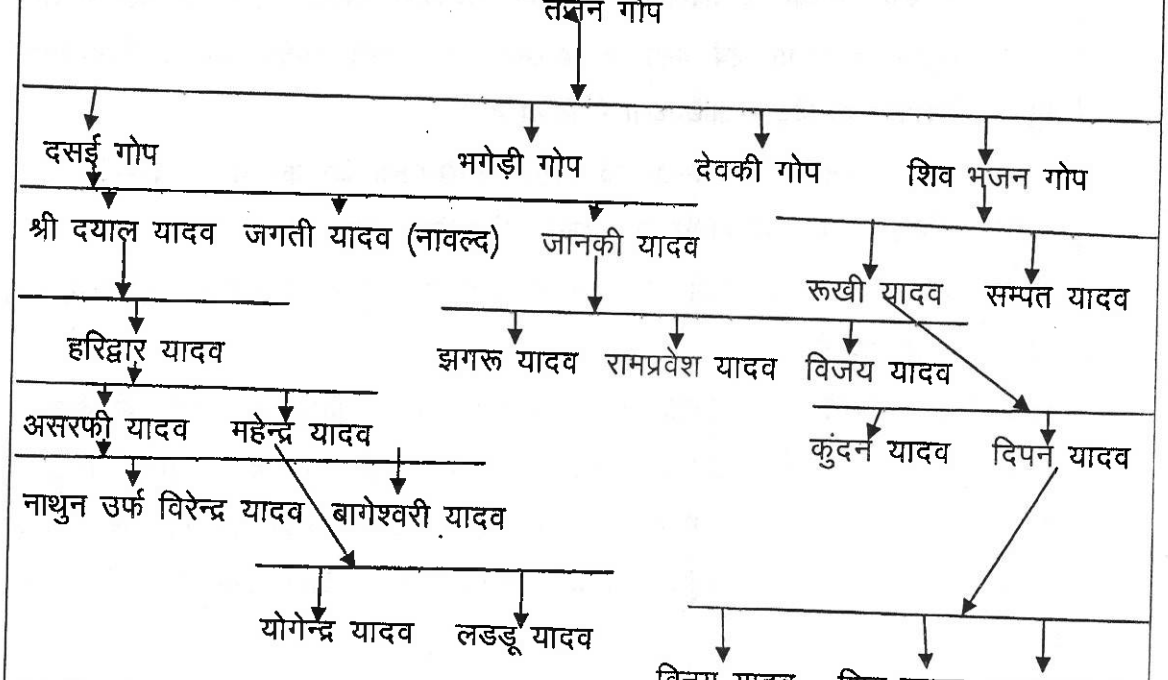

(2) विवादित भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से वसीका संख्या–3111 दिनांक 19.08.2011 एवं वसीका संख्या–311 दिनांक 27.01.2012 को खरीदगी पश्चात बिहार सरकार रजिस्टर 02 में नामांतरण कराकर राजस्व का भुगतान किया गया है। वसीका संख्या–331 में दीपन यादव के पूत्र मुन्ना कुमार गवाह है। उतरवादी गरीब तथा कमजोर व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी कर जमीन खरीद किया तथा शांति पूर्वक दखल काबिज है।

(3) उतरवादी के विरूद्व अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में परिवाद संख्या–77/2017 दाखिल किया गया था जो एक वर्षो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में जमीन को सही पाते हुए समझौता किया गया।

(4) विवादित भूमि अपीलार्थी का है। उतरवादी संख्या–01 नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव का है, प्रतिवादी संख्या–02 के चाचा महेन्द्र यादव मुकदमा करते है कि उक्त भूमि मेरे हिस्से की है। प्रतिवादी एक ही वंशवृक्ष के है जो विरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव ने अपने हिस्से की भूमि जितेन्द्र यादव को रजिस्ट्री किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने दाखिल खारिज वाद संख्या–487/2014–2015 एवं 488/2014–2015 में दिनांक 31.07.2014 को पारित आदेश अंचल अधिकारी, अरवल के खिलाफ यह अपील वाद लाया है। उतरवादी संख्या–02 जितेन्द्र यादव ने विवादित भूमि श्री विरेन्द्र यादव पिता–स्व० असरफी यादव से कय कर दाखिल खारिज कराया है। अपीलार्थीण का कहना है कि प्रतिवादी संख्या–02 जितेन्द्र यादव पिता–स्व० कुंजी यादव द्वारा जो भूमि का रजिस्ट्री कराया गया है वह अपीलार्थीगण के पिता के नाम की भूमि है जो बॉटवारा एवं खरीदगी से प्राप्त भूमि है जिसका डिमांड कायम है तथा 03 डी० भूमि दीपन यादव के बड़े भाई स्व० कुन्दन गोप के नाम से कायम है तथा डिमांड कायम कराकर राजस्व का भुगतान पूर्वज के

समय से ही कर रहे है। विकेता नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव द्वारा विकी किया गया खाता, प्लॉट मेरा है जबकि प्रतिवादी संख्या–02 नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव का खाता संख्या–353, प्लॉट संख्या–1799 है जो 25 डी० का प्लॉट है जो निबंधित वसीका में गलत खाता, प्लॉट अंकित किया गया है। उतरवादी संख्या–01 नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव ने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि मेरी नही है और उसमें मुझे कोई सरोकार नही है। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा डिमांड से जमीन हटाकर डिमांड जितेन्द्र यादव को खोला गया है वह गलत है।

दाखिल खारिज वाद संख्या–487/2014–2015 एवं 488/2014–2015 का अवलोकन किया। विवादित भूमि की जमाबंदी असरफी यादव, पिता–हरद्वार सिंह के नाम से है जबकि विरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि मेरी नही है एवं इनके द्वारा राजस्व रसीद भी दाखिल नही किया गया है। अपीलार्थी संख्या–01, 02 एवं 03 द्वारा अपने पिता राम रतन यादव, पिता–जानकी यादव के नाम से विवादित भूमि का राजस्व रसीद 2019–2020 को संलग्न किया है जिससे प्रतीत होता है कि विवादित भूमि का जमाबंदी अपीलार्थी 01, 02 एंव 03 के पिता राम रतन यादव, पिता–जानकी यादव के नाम से है। इस परिस्थिति में अंचल अधिकारी, अरवल को आदेश करने के पूर्व अपीलार्थीगण को सूचना देना आवश्यक था। परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना या आम सूचना निर्गत करना एवं बिना सहमती प्राप्त करना चाहिए था जो सूचना निर्गत किया गया है उस तामिला पर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर नही है।

उक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल खारिज वाद संख्या–487/2014–2015 एवं 488/2014–2015 में अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा पारित आदेश को विखंडित किया जाता है। अंचल अधिकारी, अरवल को इस निदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि वे जमाबंदी रैयत राम रतन यादव एवं जितेन्द्र यादव केता तथा नाथुन यादव उर्फ विरेन्द्र यादव को खास सूचना निर्गत और आम सूचना निर्गत करे एवं दखल कब्जा को स्वयं जॉच कर विधि पूर्वक आदेश पारित करे।

लेखापित एवं संशोधित

28/04/2020

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

28/04/2020

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।